रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062025-264207
CG-DL-E-27062025-264207

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 2025/आषाढ़ 6, 1947
No. 385] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 2025/ASHADHA 6, 1947

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2025

सा.का.नि. 428(अ).— केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (आचार्य श्री विद्यानन्द जी महाराज की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **सिक्के का मूल्यवर्ग.**- आचार्य श्री विद्यानन्द जी महाराज की जन्म शताब्दी के अवसर पर केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टकसाल में केवल एक सौ रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा ।

3. **सिक्के की विमाएं और संरचना.**- नियम 2 में उल्लिखित मूल्य वर्ग के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात्:-

सिक्के का मूल्य वर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारे की संख्या	धातु संयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	शुद्ध चांदी चांदी- 99.9 प्रतिशत

4. **डिज़ाइन.–** सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. **मानक वजन और अनुज्ञात उपचार**.- आचार्य श्री विद्यानन्द जी महाराज की जन्म शताब्दी के अवसर को मनाने के लिए नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्य वर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची

(नियम 4 देखें)

एक सौ रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे **"सत्यमेव जयते"** लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में **"भारत"** शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में **INDIA** शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक **"₹`"** और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य **"100"** भी होगा ।

पृष्ट भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में "आचार्य श्री विद्यानन्द जी महाराज" का चित्र होगा। चित्र के बाईं ओर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में **'1925'** और दाईं ओर **'2025'** उत्कीर्ण होगा। सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में **"आचार्य श्री विद्यानन्द जी महाराज की जन्म शताब्दी"** तथा निचली परिधि पर अंग्रेजी में '**BIRTH CENTENARY OF ACHARYA SHRI VIDYANAND JI MAHARAJ**' उत्कीर्ण होगा।

दूसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	40 ग्राम	प्रति 1000 में चांदी का 999 अंश। चांदी के अंश में 999 और उसके ऊपर तक का अंतर हो सकेगा।	1/8000वां जोड़ कर या घटाकर, अर्थात वज़न में 39.995 ग्राम से 40.005 ग्राम तक का अंतर हो सकता है।

[फा. सं. 02/11/2025- सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2025

G.S.R. 428(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of Birth Centenary of Acharya Shri Vidyanand Ji Maharaj) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin**.- The coin of One Hundred Rupees denomination shall only be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of Birth Centenary of Acharya Shri Vidyanand Ji Maharaj.

3. **Dimension and composition of coin**. - The denomination of the coin mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely:-

Denomination of coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
One Hundred Rupees	Circular 44 millimeter	200	Pure Silver Silver-99.9%

4. **Design**.- The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed**.- The standard weight of the coin of denomination referred in rule 2 to commemorate the occasion of Birth Centenary of Acharya Shri Vidyanand Ji Maharaj and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

THE FIRST SCHEDULE

(*See* rule *4)*

ONE HUNDRED RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend **"सत्यमेव जयते"** inscribed below, flanked on the left periphery with the word **"भारत"** in Devanagari script and on the right periphery with the word "**INDIA**" in English. It shall also bear the Rupee symbol "**₹**" and denominational value "**100**" in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of the coin shall feature the portrait of "Acharya Shri Vidyanand Ji Maharaj" at the centre. The year '1925' in international numerals shall be inscribed on the left side of the portrait, and the year '2025' shall be inscribed on the right side. On the upper periphery of the coin, the inscription **"आचार्य श्री विद्यानन्द जी महाराज की जन्म शताब्दी"** shall be written in Devanagari script, and the inscription **"BIRTH CENTENARY OF ACHARYA SHRI VIDYANAND JI MAHARAJ"** shall be inscribed in English on the bottom periphery of the coin.

THE SECOND SCHEDULE

(*See* rule 5)

Denomination of the coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	40 Grams	999 parts of silver per 1000. The tolerance for Silver content shall be 999 and above.	1/8000th plus or minus that is to say weight could be 39.995 grams to 40.005 grams.

[F. No. 02/11 /2025-Coin]

APARNA BHATIA, Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2025.06.27 22:40:10 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062025-264208
CG-DL-E-27062025-264208

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 2025/आषाढ़ 6, 1947
No. 386]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 2025/ASHADHA 6, 1947

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2025

सा.का.नि. 429(अ).— केन्द्रीय सरकार, सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का-निर्माण (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **सिक्के का मूल्यवर्ग.-** राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टकसाल में केवल पचहत्तर रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा ।

3. **सिक्के की विमा और संरचना.-** नियम 2 में उल्लिखित उपरोक्त मूल्य वर्ग के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :-

सिक्के का मूल्य वर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
पचहत्तर रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	शुद्ध चांदी चांदी – 99.9 प्रतिशत

4. **डिज़ाइन.-** सिक्के का डिज़ाइन इन नियमों में उपाबद्ध पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार.- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए उपरोक्त मूल्यवर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों में उपाबद्ध दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

प्रथम अनुसूची

(नियम 4 देखें)

पचहत्तर रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे **"सत्यमेव जयते"** लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में **"भारत"** शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में **"INDIA"** शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक **"₹"** और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य **"75"** भी होगा ।

पृष्ट भाग:

सिक्के के इस भाग के मध्य में 75वीं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का प्रतीक चिन्ह होगा। सिक्के की उपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में "**सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय"** इसके ठीक नीचे **"राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय"** लिखा होगा। सिक्के की निचली परिधि पर अंग्रेजी में **"NATIONAL STATISTICS OFFICE"** इसके ठीक नीचे **"MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION"** वर्णित होगा। 75वीं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का प्रतीक चिन्ह ऊपर और नीचे अन्तराष्ट्रीय अंको में वर्ष क्रमश: "**1950**" और "**2025**" लिखा होगा ।

दूसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
पचहत्तर रुपये	40 ग्राम	प्रति 1000 में चांदी का 999 अंश। चांदी के अंश में 999 और उससे ऊपर होगी.	1/1800वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् वजन 39.995 ग्राम से 40.005 ग्राम तक हो सकता है।

[फा. सं. 02/18/2025- सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2025

G.S.R. 429(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin to commemorate the occasion of 75th Anniversary of the National Sample Survey) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin**.- The coin of Seventy Five Rupees denomination shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of 75th Anniversary of the National Sample Survey**.**

3. **Dimension and composition of coin**.- The coin of the above denomination mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Seventy Five Rupees	Circular 44 millimeters	200	**Pure Silver** Silver - 99.9 percent

4. **Design**.- The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed.-** The standard weight of the coin of denomination referred in rule 2 to commemorate the occasion of 75th Anniversary of the National Sample Survey and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

THE FIRST SCHEDULE

(See rule 4)

SEVENTY FIVE RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend **"सत्यमेव जयते"** inscribed below, flanked on the left periphery with the word **"भारत"** in Devnagari script and on the right periphery with the word "**INDIA**" in English. It shall also bear the Rupee symbol "₹" and denominational value "**75**" in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of coin shall bear the logo of the 75th National Sample Survey in the centre of the coin. The inscription "**सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय"** below which **"राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय"** shall be written in Devnagari script on the upper periphery and the inscription **"NATIONAL STATISTICS OFFICE"** and below which **"MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION"** in English shall be depicted on the lower periphery of the coin. The year "**1950"** and "**2025**" shall be written in international numeral respectively above and below the logo of the 75th National Sample Survey.

THE SECOND SCHEDULE

(See rule 5)

Denomination of the coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Seventy Five Rupees	40 Grams	999 parts of silver per 1000. The tolerance for Silver content shall be 999 and above.	1/8000th plus or minus that is to say weight could be 39.995 grams to 40.005 grams.

[F. No. 02/18/2025-Coin]

APARNA BHATIA, Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2025.06.27 22:35:16 +05'30'